"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 अगस्त 2014— भाद्र 1, शक 1936

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-6/2014/सक/26. — छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्र. 12 सन् 1970) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 के खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(ङ-1) "अंत:वासी" से अभिप्रेत है आश्रम में रहने वाले व्यक्ति,"

2. नियम 3 के उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
"(5) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के प्रयोजन हेतु, निराश्रित से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ हो तथा जिसे जीविकोपार्जन हेतु सहारा देने वाला कोई न हो."

3. नियम 11 के खण्ड (ख) को विलोपित किया जाये.

4. नियम 11 के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (छः) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
"(सात) समाज कल्याण विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही भवन निर्माण, भवन मरम्मत एवं वाहन क्रय पर व्यय किया जा सकेगा."

5. नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"12. (1) कलेक्टर, नियम 11 में यथा विनिर्दिष्ट निराश्रित निधि के प्रयोजनों के लिये प्रतिवर्ष रु. 25.00 (पच्चीस) लाख की सीमा तक निराश्रित निधि का उपयोग कर सकेंगे. रु. 25.00 (पच्चीस) लाख से अधिक के प्रस्ताव आयुक्त/संचालक, समाज कल्याण को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जायेंगे तथा जिलो द्वारा तैयार प्रस्ताव, वार्षिक ब्याज की शत्-प्रतिशत् राशि तथा मूलधन की 50 प्रतिशत की राशि के योग से अधिक नहीं होना

चाहिये. ऐसे प्रस्ताव, जिनमें आवर्ती व्यय सम्मिलित हो, केवल तभी स्वीकार किये जायेंगे जब भविष्य में इनकी पूर्ति के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध हो.

(2) आयुक्त/संचालक, समाज कल्याण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट व्यय हेतु रु. 50.00 (पचास) लाख की सीमा तक स्वीकृति दी जा सकेगी.

(3) रु.50.00 (पचास) लाख से अधिक राशि की स्वीकृति के लिये, स्वीकृति प्राधिकारी, समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 7-6/2014/सक/26. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-6/2014/सक/26, दिनांक 22-08-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd August 2014

NOTIFICATION

No. F 7-6/2014/SW/26 .— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Adhiniyam,1970 (No. 12 of 1970), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Niyam, 1999, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After clause (e) of rule 2, the following shall be inserted, namely :-
   "(e-1) "Inmate" means person residing in the Ashram,"

2. After sub-rule (4) of rule 3, the following shall be added, namely :-
   "(5) For the purpose of clause (a) of Section 2 of the Act, Destitute means such person, who is unable to earn his/her livelihood and there is no one to support his/her livelihood."

3. Clause (b) of rule 11 shall be omitted.

4. After sub-clause (vi) of clause (g) of rule 11, the following shall be added, namely :-

   "(vii) Expenditure on building construction, building maintenance and vehicle purchase shall be done only after approval of Department of Social Welfare."

5. For rule 12, the following shall be substituted, namely :-

   "12. (1) The Collector may utilize Nirashrit Fund to the extent of Rs. 25 (Twenty five) lacs per year for the purpose of Nirashrit Fund as specified in rule 11. Proposal exceeding Rs. 25 (Twenty five) lacs shall be forwarded to Commissioner/Director, Social Welfare Department for sanction and proposal prepared by the district shall not exceed the total sum of the 100% amount of yearly interest and 50% of principal amount. Proposals involving recurring expenditure shall be taken up only if there is sufficient funds available in future to meet it.

(2) Commissioner/Director, Social Welfare Department can sanction amount up to Rs. 50 (Fifty) lacs for specified expenditure.

(3) For the amount exceeding Rs. 50 lacs, the sanctioning authority shall be Social Welfare Department of Government of Chhattisgarh."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DINESH SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.